

29.6.22 पत्रावली पेश। सार्थी उपस्थित नहीं।
सार्थी एवं वकील सार्थी को पहले
न्यायालय में जॉट-जॉट से आवाजें
लगाई गई। फिल भी उपस्थित नहीं।
अतः यह सार्थना पत्र अहम हाजरी
एवं अहम पेंसरी में इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली
बाद तरीक लक्ष्मील डोगर हाजिर
हफ्त हो।

(अश्विनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना